1130
5/12/19

राजस्थानसरकार
प्रशासनिकसुधार एवंसमन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

D 527823
3/12/

क्रमांकः-प.25(1)प्रसु/सम/अनु-1/2018 जयपुर, दिनांकः- 26.11.2019

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.04.2018 द्वारा समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिवगण को निर्देशित किया गया था कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठकों में आमंत्रित अधिकारीगण द्वारा स्वयं ही भाग लिया जावे। आमंत्रित अधिकारी के अपरिहार्य कारणों से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इसकी पूर्व सूचना दी जावे तथा उनके द्वारा किसी विज्ञ वरिष्ठ अधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु अधिकृत/ मनोनीत की जाने की पूर्व सूचना बैठक आयोजित करने वाले विभाग के सचिव को दी जावे। परंतु गत् कुछ बैठकों में यह देखा गया है कि आमंत्रित अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिवगण द्वारा भाग नहीं लिया गया और द्वितीय व तृतीय वरीयता क्रम के अधिकारीगण द्वारा बैठक में भाग लिया गया तथा उक्त अधिकारी बैठक के विषय से सुविज्ञ नहीं थे। इसे मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

CE 6AS
2/11

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव गण को पुनः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठकों में आमंत्रित अधिकारीगण द्वारा स्वयं ही भाग लिया जावे। आमंत्रित अधिकारी के अपरिहार्य कारणों से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इसकी पूर्व सूचना बैठक आयोजित करने वाले विभाग के सचिव को दी जावे तथा उनके द्वारा किसी सुविज्ञ वरिष्ठ अधिकारी यथा विशिष्ठ शासन सचिव/ संयुक्त शासन सचिव/ विभागाध्यक्ष को बैठक में भाग लेने हेतु अधिकृत/ मनोनीत किया जावे। साथ ही इसकी भी पूर्व सूचना बैठक आयोजित करने वाले विभाग के सचिव को अवश्य दी जावे।

मुख्य सचिव महोदय की बैठकों में आमंत्रित अधिकारियों के अलावा अधीनस्थों को तभी प्रवेश दिया जावेगा जब वे आमंत्रित अधिकारी के साथ आए हों अथवा उनके मनोनयन की पूर्व सूचना दे दी गई हो। बैठक आयोजित करने वाले विभाग का यह दायित्व होगा कि वह इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें और मुख्य सचिव महोदय की बैठक में कौन से आमंत्रित अधिकारी नहीं आ पाएंगे और उनके स्थान पर किसी अन्य सुविज्ञ वरिष्ठ अधिकारी को मनोनीत किया गया है या नहीं, यह बैठक से पहले ज्ञात कर तदानुसार बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त आदेश की अनुपालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करवायें।

— Sd -
(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिवगण
4. रक्षित पत्रावली

26/11/19
(अरुण प्रकाश शर्मा)
उप शासन सचिव

CE PWD
RR.No 3755/A
Date 3-12-19

CE & AS

P.T.O.

प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) के आदेश क्रमांकः प. 25 (1) प्रसु/सम/अनु–I/2018 दिनांक 26.11.2019 की प्रति वास्ते मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में आमंत्रित अधिकारीगण द्वारा स्वयं ही भाग लिये जाने के सम्बंध में

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःप0 1(1) /अनु0प्रथम/ए/2019/प्रे0–1130 दिनांकः 05.12.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राज0जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, सानिवि, राज0 जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सानिवि, राज0 जयपुर ।
4. प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी. जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता, सानिवि संभाग समस्त।
7. अति0 मुख्य अभियन्ता (विद्युत) सानिवि, जयपुर/जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत समस्त ।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड समस्त ।
10. निजी सचिव मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव/व0निजी सहायक मुख्य अभियन्ता पीएमजीएसवाई/एस.एस./क्यू.सी./एन.एच.)/भवन/विद्युत/वित्तीय सलाहकार /मुख्य वास्तुविद/अति0 मुख्य अभियन्ता (पीपीपी)/तकनीकी सहायक प्रथम/ अधिशाषी अभियन्ता(मु0/जांच) ।
11. सम्बंधित अधिकारी ।
12. निजी/रक्षक पत्रावली

5.12.19

(अक्षय कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता एवं तक0 सहा0प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज0 जयपुर

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।